संख्या-56/2022/559/002-23-14-2022-19(जनरल)/2017टी0सी0

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ : दिनांक- 25 अगस्त, 2022**

विषय:-अनुदान संख्या-58 जिला योजना (नवनिर्माण) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 43 चालू कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-913/CE-HQ1/JYNN/AGR/2022-23, दिनांक 02.08.2022, 914/CE-HQ1/JYNN/PRJ/2022-23, दिनांक 02.08.2022, 915/CE-HQ1/JYNN/LKO/2022-23, दिनांक 02.08.2022, 916/CE-HQ1/JYNN/KNP/2022-23, दिनांक 02.08.2022, 917/CE-HQ1/JYNN/MBD/2022-23, दिनांक 02.08.2022, 918/CE-HQ1/JYNN/ALI/2022-23, दिनांक 02.08.2022, 919/CE-HQ1/JYNN/BAS/2022-23, दिनांक 02.08.2022, 920/CE-HQ1/JYNN/GON/2022-23, दिनांक 02.08.2022, 890/CE-HQ1/JYNN/ADY/2022-23, दिनांक 02.08.2022, 945/CE-HQ1/JYNN/BAS/2022-23, दिनांक 03.08.2022, 979/CE-HQ1/J YNN/PRJ/2022-23, दिनांक 04.08.2022, 980/CE-HQ1/JYNN/BAR/2022-23, दिनांक 04.08.2022, 981/CE-HQ1/JYNN/GKP/2022-23, दिनांक 04.08.2022, 982/CE-HQ1/JYNN/ VNS/2022-23, दिनांक 04.08.2022, 1009/CE-HQ1/JYNN/ALI/2022-23, दिनांक 04.08.2022, 1006/CE-HQ1/JYRE/KNP/2022-23, दिनांक 04.08.2022, 1007/CE-HQ1/JYNN/ADY/2022-23, दिनांक 04.08.2022, 1008/CE-HQ1/JYNN/GKP/2022-23, दिनांक 04.08.2022, 1029/CE-HQ1/JYNN/PRJ/2022-23, दिनांक 06.08.2022, 1030/CE-HQ1/JYNN/BAR/2022-23, दिनांक 06.08.2022, 1031/CE-HQ1/JYNN/GKP/2022-23, दिनांक 06.08.2022, 1056/CE-HQ1/ JYNN/JHA/2022-23, दिनांक 08.08.2022, 1057/CE-HQ1/JYNN/ALI/2022-23, दिनांक 08.08.2022, 1058/CE-HQ1/JYNN/MIR/2022-23, दिनांक 08.08.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-58 जिला योजना (नवनिर्माण) चालू कार्य के अन्तर्गत निम्नलिखित सूची में उल्लिखित जनपदों की कुल 43 जिला योजना (नवनिर्माण) चालू परियोजनाओं हेतु सूची की तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित कुल स्वीकृत लागत धनराशि रू0 2022.25 लाख के सापेक्ष स्तम्भ-10 में उल्लिखित धनराशि रू0 4,39,85,000.00 (रूपये चार करोड़ उन्तालिस लाख पच्चासी हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड जनपद का/ नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल / लागत	दि. 31.3.2022 तक आवंटन	दि. 01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रान्तीय खण्ड-मथुरा।	जिला योजना के अन्तर्गत जनपद मथुरा में सेरसा नगल फर्श मार्ग का नव निर्माण।	58.93	45.70	13.23	7.49	0.00	5.74	5.74

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2	प्रान्तीय खण्ड-फतेहपुर।	मेढापाटी से लखनीपुर सम्पर्क मार्ग।(छूटी कडी)	92.23	73.78	18.45	0.19	0.00	18.26	18.26
3	प्रान्तीय खण्ड-फतेहपुर।	बांदा बहराइच मार्ग से रसूलपुरमें मिलन केन्द्र सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	38.41	30.73	7.68	1.34	0.00	6.34	6.34
4	निर्माण खण्ड-उन्नाव।	हसनगंज रसूलाबाद से (जिन्दा खेडा) जिन्दासपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	34.96	13.87	21.09	0.08	0.00	21.01	21.01
5	निर्माण खण्ड-फर्रूखाबाद।	नवाबगंज-मंझना रोड़ से उबउआ सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	57.52	46.02	11.50	1.36	0.00	10.14	10.14
6	निर्माण खण्ड-फर्रूखाबाद।	ग्राम टीका नगला मोड से नटवारा मोड (वाया गडरियन नगला) तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	41.72	33.38	8.34	0.41	0.00	7.93	7.93
7	प्रान्तीय खण्ड-मुरादाबाद।	ग्राम सिढलऊ नजरपुर हाईवे रोड से हाजी अहमद के मकान तक नवनिर्माण का कार्य(सी.सी. मार्ग)	34.42	27.54	6.88	1.50	0.00	5.38	5.38
8	प्रान्तीय खण्ड-मुरादाबाद।	एम0एच0डी0 मार्ग से मौरा मुस्तकम मार्ग के नवनिर्माण का कार्य (सी.सी. मार्ग)	50.80	40.64	10.16	2.40	0.00	7.76	7.76
9	प्रान्तीय खण्ड-अलीगढ।	जिला योजना के 2020-21 अन्तर्गत हरश्चन्दपुर से खिटौली मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	69.37	55.50	13.87	5.87	0.00	8.00	8.00
10	प्रान्तीय खण्ड- बस्ती।	ग्राम पंचायत बरगदवा में राम अछैबर के चक से जैसराम वर्मा के चक तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य ।	55.36	44.29	11.07	0.08	0.00	10.99	10.99
11	प्रान्तीय खण्ड- बस्ती।	महुआपार मार्ग से रतास गोसाई काली जी के स्थान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	35.11	28.09	7.02	0.05	0.00	6.97	6.97
12	प्रान्तीय खण्ड-श्रावस्ती।	कानीबोझी की बसावट प्रतापपुर को जोडने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	33.33	26.66	6.67	0.05	0.00	6.62	6.62
13	प्रान्तीय खण्ड-श्रावस्ती।	खावांकला की बसावट खावांकला को जोडने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	26.80	21.44	5.36	0.04	0.00	5.32	5.32
14	प्रान्तीय खण्ड-श्रावस्ती।	ग्राम शिकारी चैडा की बसावट शिकारीपुरवा पूर्वी को जोडने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	20.13	16.10	4.03	0.11	0.00	3.92	3.92
15	निर्माण खण्ड-बलरामपुर।	उतरौला चन्दनपुर मार्ग पर मोहनजोत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	40.12	32.10	8.02	0.02	0.00	8.00	8.00
16	निर्माण खण्ड-बलरामपुर।	जमुनही से हिरावन डीहवा होते हुए बच्ची बच्चा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	40.30	32.24	8.06	0.03	0.00	8.03	8.03
17	निर्माण खण्ड-बलरामपुर।	मोहमदपुर सरदारगढ का नव निर्माण कार्य।	36.15	17.35	18.80	0.03	0.00	18.77	18.77
18	निर्माण खण्ड-बलरामपुर।	जखलीया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	34.35	27.48	6.87	0.04	0.00	6.83	6.83
19	निर्माण खण्ड-बलरामपुर।	मिर्जापुर मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	34.61	27.70	6.91	0.15	0.00	6.76	6.76

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

20	निर्माण खण्ड-बलरामपुर।	लोनियाडीह मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	28.48	22.78	5.70	0.24	0.00	5.46	5.46
21	प्रान्तीय खण्ड-बलरामपुर।	उतरौला पचपेडवा चन्दनपुर मार्ग (अ0जि0मा0) से बनकटवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	48.08	18.69	29.39	0.08	0.00	29.31	29.31
22	प्रान्तीय खण्ड-गोण्डा।	केशवनगर ग्रन्ट का मजरा बसहवां सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	50.11	40.09	10.02	1.02	0.00	9.01	9.00
23	निर्माण खण्ड-3 सुल्तानपुर।	पृथ्वीपाल मिश्र का पुरवा (बहुरावा) सम्पर्कमार्ग का निर्माण कार्य।	21.69	17.35	4.34	0.97	0.00	3.37	3.37
24	प्रान्तीय खण्ड-संतकबीरनगर।	बी0एम0सी0टी0 किमी 53 से सांडेकला शिवमन्दिर तक सी.सी. रोड का निर्माण कार्य।	55.79	23.44	32.35	0.00	0.00	32.35	32.35
25	नि.ख. 1 प्रतापगढ़	डीहा मोहदी नगर से पूरे पाण्डेय सम्पर्क मार्ग ।	36.96	29.57	7.39	0.70	0.00	6.69	6.69
26	प्रा0ख0 बरेली	बरेली बदॉयू रोड से इटौआ सुखदेवपुर मार्ग से खान चन्द्र शर्मा के मकान तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	18.81	15.05	3.76	1.89	0.00	1.87	1.87
27	नि0ख0 महराजगंज	अमहवा से दोगहरा मिसिंग भाग का नव निर्माण कार्य।	34.13	27.30	6.83	1.44	0.00	5.39	5.39
28	नि0ख0 जौनपुर	पल्टूपुर बेलवा मार्ग से जनता यादव के घर होते हुये पाल मौर्या बस्ती सम्पर्क मार्ग	25.67	20.54	5.13	1.00	0.00	4.13	4.13
29	प्रा0ख0 गाजीपुर	कोटवां नारायणपुर लट्ठूडीह मुख्य मार्ग से कनुआन प्राइमरी स्कूल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	35.46	18.14	17.32	0.02	0.00	17.30	13.00
30	प्रा0ख0 हाथरस	जिला योजना के अन्तर्गत बाण अब्दुल हरीपुर होते हुए रसूलपुर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	71.08	56.86	14.22	4.00	0.00	10.22	10.22
31	नि0ख0 औरैया	कमारा से चटरूआ मार्ग के कमारा आबादी भाग में सी0सी0 पेवमेन्ट एवं नाली निर्माण कार्य।	39.63	31.70	7.93	2.05	0.00	5.88	5.88
32	नि0ख0-3 सुल्तानपुर	मुडई (गुडई) सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	21.54	17.23	4.31	0.75	0.00	3.56	3.56
33	प्रा0ख0 कुशीनगर	बेलवा बाबूराम सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	98.51	78.81	19.70	12.15	0.00	7.55	7.55
34	नि0ख0-2 फतेहपुर	गाजीपुर असोधर मार्ग से खदरहा सम्पर्क मार्ग ।	33.13	29.05	4.08	0.06	0.00	4.02	4.02
35	प्रा.ख. बरेली	टयूलिया में अड्डे से लेकर सागर के घर तक सीनिर्माण कार्य। .सी.	28.33	11.02	17.31	5.60	0.00	11.71	11.71
36	प्राबरेली .ख.	परधौली तिराहे से राजकीय आयुर्वेदिक सामुदायिक केन्द्र मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	39.39	31.51	7.88	4.46	0.00	3.42	3.42
37	प्रा.ख. कुशीनगर	गुरवलिया दुदही मार्ग कि .मी.3 से विजयपुर उत्तर पट्टी खटिक टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	98.90	36.59	62.31	26.57	0.00	35.74	35.74
38	नि-.ख.3 झांसी	मुराठा धमना मार्ग से ध्वानी सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	44.65	35.72	8.93	0.63	0.00	8.30	8.30
39	प्रा .ख. ललितपुर	गिरारकारीटोरन- मार्ग के कि .मी. 11.600 से 13.300 तक का अवशेष भाग का निर्माण कार्य।	126.24	88.50	37.74	9.36	0.00	28.38	28.38
40	प्रा .ख. ललितपुर	गिरारकारीटोरन- मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कार्य।	34.11	27.29	6.82	2.15	0.00	4.67	4.67

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

41	प्रा.ख. एटा	सहोरी नरथर रेलवे सम्पर्क मार्ग से ग्राम पुरसारी 8 विस्वा ग्रा0प0 जवाहर नगर पुरसारी मार्ग का निर्माण कार्य।	105.03	88.93	16.10	12.59	0.00	3.51	3.50
42	प्रा.ख. सोनभद्र	पगिया मेन रोड एस0के0 मार्डन पब्लिक स्कूल तक होते हुए बहेरा तक संपर्क मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	58.05	46.55	11.50	0.08	0.00	11.42	11.42
43	प्रा .ख. सोनभद्र	प्राथमिक विद्यालय से सलखन नाला तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	33.86	15.22	18.64	0.50	0.00	18.14	18.14
		योग	**2022.25**	**1468.54**	**553.71**	**109.55**	**0.00**	**444.17**	**439.85**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता तथा स्वीकृत मात्राओं की जिम्मेदारी निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तयरदायित्व प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी का होगा तथा कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो एवं कार्य समय से पूर्ण हो, यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाये। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

3- मिट्टी का कार्य मनरेगा से कराया जायेगा तथा मनरेगा अंश की धनराशि राज्य सरकार के खाते से अवमुक्त नहीं की जायेगी।

4- लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

5- धनराशि का आहरण उपलब्ध परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाय।

6- आहरण के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्य जिला योजना समिति से अनुमोदित है।

7- आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आबंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है ।

8- परियोजनान्तर्गत विभिन्न् निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें। जिन परियोजनाओं में सम्पूर्ण धनराशि आवंटित की जा चुकी है, उन परियोजनाओं को गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ्स सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

9- निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बकन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

10- परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

11- परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध् करायी जाय।

12- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिला योजना (नवनिर्माण) चालू कार्य के अन्तर्गत उक्त सूची में उल्लिखित 43 कार्यों हेतु किसी भी स्थिति में उनकी स्वीकृत लागत से अधिक धनराशि आवंटित न की जाय तथा निर्माण कार्यों को गुणवत्तायुक्त पूर्णकर पूर्णता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,39,85,000.00 (रूपये चार करोड़ उन्तालिस लाख पच्चासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371318 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों के चालू निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

संख्या-56/2022/559/002-23-14-2022-19(जनरल)/2017टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय,प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त,सम्बन्धित मण्डल।
4- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेन्ट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,सम्बन्धित जनपद के अनुसार।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1)लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता,सम्बन्धित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम, सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड,प्रयागराज।
10- वेब अधिकारी,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।